BA(Hons.) PART –I , Paper- I

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

लोककल्याणकारी राज्य एवं कार्य (Welfare State & its Functions)

आधुनिक काल में यह विचार बहुत जोर पकड़ रहा है कि राज्य कल्याणकारी स्वरूप का होना चाहिए। उसका कार्य देश में आतंरिक शक्ति की स्थापना ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का विकास होना चाहिए।

राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में 20वीं शताब्दी में एक नवीन सिद्वांत का जन्म हुआ, जिसे हम लोककल्याणकारी राज्य का सिद्वांत कहते हैं। यह सिद्वांत साम्यवाद और अराजकतावाद की तरह राज्य को अनावश्यक नहीं मानता, वरण लोककल्याण संबंधी उत्तरदायित्व को सौंप देता है। 18वीं सदी में राज्य का कार्य सिर्फ शांति और सुव्यवस्था कायम करने तक सीमित था। परन्तु आधुनिक युग में अधिकतर देशों में पुलिस राज्य (Police state) की जगह लोक–कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। 20वीं सदी में कोई भी राज्य अपने नागरिकों के बीच शांति, सुव्यवस्था और न्याय की स्थापना तभी कर सकता है जब वह नागरिकों के दैनिक जीवन की समस्याएँ हल करने में भी सफल हो।

लोककल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं परिभाषा :– लोककल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत समाज सेवा की व्यवस्था करता है जिनका संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी और वृद्वावस्था में सहायता की व्यवस्था से है।

डॉ0 आर्शीवादम् के शब्दों में, "कल्याणकारी राज्य वह है जो राज्य द्वारा किये जाने वाले साधारण कार्यो के अतिरिक्त लोककल्याण के कार्य भी करता है, जैसे– सार्वजनिक शिक्षा,

स्वास्थ्य, बीमा–योजनाएँ, बेकारी दूर करना, बुढ़ापे में पेंशन और सुरक्षा तथा अन्य सहायता कार्य।"

जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, " लोककल्याणकारी राज्य का मूल आधार समान अवसर की व्यवस्था, गरीबों और अमीरों में भेद दूर करना तथा जीवन स्तर उठाना है।"

केण्ट ने कहा कि, "कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करे।"

हॉब्सन (Hobson) के विचारानुसार, "आज राज्य एक डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा–कम्पनी के एजेंट, मकान बनाने वाला, नगर योजना तैयार करने वाला तथा रेलवे नियंत्रक आदि हो गया है।"

अतः लोककल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य पहलुओं को विकसित करने का प्रयास करता है। इसका संबंध नागरिकों के सर्वांगीण विकास से है। इसका उद्देश्य सामाजिक शोषण का अन्त कर कलात्मक प्रवृतियों को प्रोत्साहन करना है।

कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ एवं कार्य – कल्याणकारी राज्य की उपर्युक्त परिभाषाओं से ही कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ और कार्य स्पष्ट हो जाते हैं। एक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन को समाज के विविध क्षेत्रों में नियंत्रित करता हुआ समानता और स्वतंत्रता की स्थापना का प्रयत्न करता है। उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रों में व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करना पड़ता है। उस राज्य के सभी नागरिक अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सकते हैं। यह लोककल्याणकारी राज्य का लक्षण भी है। आधुनिक युग में राज्य की अच्छाई की जॉच की कसौटी भी यही है। जिन राज्यों के संविधान द्वारा लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की व्यवस्था नहीं की गई है, उसकी भर्त्सना की जाती है। यही कारण है कि अधिकतर देशों के संविधान द्वारा लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

<u>लोककल्याण की भावना राज्य का उत्तरदायित्व</u> – लोककल्याण की मॉग नागरिकों का अधिकार है। यदि कोई राज्य लोककल्याण की बातें करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह नागरिकों को दान करता है। वह इसलिए करता है कि यह उसका उत्तरदायित्व है।

लोककल्याण की भावना राज्य का उत्तरदायित्व ही नहीं, वरन् उसका एक परम सिद्वांत भी है। दरिद्रता तथा आभाव का उन्मूलन करना लोककल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषता है। लोककल्याणकारी राज्य का नारा नागरिकों का सर्वांगीण विकास है। यह नागरिकों के मन से भय और अभाव को दूर ही नहीं करता, वरन् व्यक्ति की सेवा "पालन से कब्र तक" करता है। बच्चा के जन्म से पूर्व मॉ के स्वास्थ्य तथा पैदा होने पर बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई आदि की भी समुचित व्यवस्था करता है। बच्चा जब बड़ा होकर देश का नागरिक बनता है तब उसके लिए कॉलेज तथा वाचनालय आदि की व्यवस्था करता है। यह नागरिकों के नागरिक जीवन से लेकर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पहलुओं को भी विकसित करने का प्रयास करता है।

<u>लोककल्याणकारी राज्य का उद्भव तथा विकास</u> – लोककल्याणकारी राज्य का उद्भव 19 वीं शताब्दी के बाद की एक घटना है। 19 वीं शताब्दी तक अन्तराष्ट्रीय जगत में पुलिस राज्य की अवधारणा विद्यमान थी। राज्य ने अपने को कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने तक सीमित रखा। लोककल्याण का दायित्व व्यक्तियों पर था। व्यक्ति ही अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। पुलिस राज्य की अवधारणा के बाबजूद राज्यों ने व्यक्यिों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया जो किसी न किसी रूप में कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति में काफी सहायक हुआ। इसमें इग्लैण्ड में गरीबी कानून का पास होना, नेपोलियन तृतीय का फ्रांस में सार्वजनिक अधिकार, मजदूरी वृद्वि, बीमा आदि का विकास, विस्मार्क का जर्मनी में समाजिक कार्य करना, लोककल्याण के प्रति सामाजिक चेतना का विकास में राजनीतिशात्रियों का कार्य आदि ने इसे बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष – इस प्रकार लोककल्याणकारी राज्य आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का आर्दश हो गया है। लोककल्याणकारी राज्य का आर्दश ही आधुनिक युग में विभिन्न राज्यों के कार्यो का आधार है। भारत जैसे विकासशील देश में लोककल्याणकारी उद्वेश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में कुछ बाधाऍ अवश्य है। परन्तु भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोककल्याणकारी

राज्य के उद्देश्य प्राप्ति का संकल्प लिया गया। सचमुच में लोककल्याणकारी राज्य तभी अपने स्वप्न को साकार कर सकता है जब (i) धन व सम्पत्ति के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण बदल जाय (ii) हर धर्म, समुदाय और वर्ग के लोगों में प्रबल राष्ट्रीय भावना का विकास हो (iii) उच्च स्तर की सार्वजनिक ईमानदारी और निर्भरता हो तथा (iv) एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो अपनी जिम्मेवारी समझे और उसे पूरा करे, क्योंकि भारत के वर्त्तमान समाज में उत्तरदायित्व की भावना का लोप हो गया है। अधिकांश उधोगपतियों, व्यापारियों और व्यवसायियों तक में समाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है।